तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ताम[illegible] में जारी हु[illegible]
18.5.21	उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकार्य कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29.6.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।	
10.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प मॉडल मे पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं पटवार हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. पत्र किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :– 217/20 प्रा. पत्र

1– रमेशचन्द्र s/o रघुनाथ रैनाणी निवासी - मईमगरी माडल त. मांडल --प्रार्थी

बनाम

1– अन्नु w/o श्री कांत जोशी निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण

(खातेदार प्रा. पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम....माण्डल....पटवार हल्का....माण्डल....तहसील मांडल/में उसके ख.ते /संयुक्त खातों की आराजी नं....7983....कुल किता ....01.... रकबा....0.4300....हेक्टेयर....—....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक....16.12.20....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम....माण्डल.... पटवार हल्का....माण्डल....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं....7983.... ....कुल किता ....01....रकबा....0.4300....हेक्टेयर....—.... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक....माण्डल....को ....500..../- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :– तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा पेश ... अनुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021